.

Sec 14-17 Hindu Marriage Act

14. विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक के लिये कोई याचिका पेश न की जायगी –
15. कब तलाक-प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे –
16. शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता –
17. द्विविवाह के लिये दण्ड-

14. विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक के लिये कोई याचिका पेश न की जायगी –

(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब तक आज्ञप्ति द्वारा विवाह के के भंग के लिए याचिका की तारीख जब तक कि उस विवाह की तारीख से अर्जी के उपस्थापन की तारीख तक एक वर्ष बीत न चुका हो, न्यायालय ऐसी याचिका को ग्रहण न करेगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे नियमों के अनुसार जैसे कि उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, अपने से किये गये आवेदन पर याचिका को विवाह की तारीख से

* एक वर्ष व्यपगत होने से पहले पेश करने के लिये समनुज्ञा इस आधार पर दे सकेगा कि वह मामला याचिकादाता द्वारा

1. असाधारण कष्ट भोगे जाने का या
2. प्रत्युत्तरदाता की असाधारण दुराचारिता का है, किन्तु यदि न्यायालय को याचिका की सुनवाई पर यह प्रतीत होता है कि याचिकादाता ने याचिका पेश करने के लिए इजाजत किसी मिथ्या व्यपदेशन या मामले के प्रकार के सम्बन्ध में किसी मिथ्या व्यपदेशन या किसी छिपावट से अभिप्राप्त की थी तो यदि न्यायालय आज्ञप्ति दे तो इस शर्त के अधीन ऐसा कर सकेगा कि जब तक विवाह की तारीख से एक वर्ष का अवसान न हो जाय, तब तक वह आज्ञप्ति प्रभावशील न होगी या याचिका को ऐसी किसी याचिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिना खारिज कर सकेगा जो कि उन्हीं या सारतः उन्हीं तथ्यों पर उक्त एक वर्ष के अवसान के पश्चात् दी जाये जैसे कि ऐसे खारिज की गई याचिका के समर्थन में अभिकथित किये गये गये हों।

(2) विवाह की तारीख से एक वर्ष के अवसान से पूर्व तलाक के लिए याचिका पेश करने की इजाजत के लिये इस धारा के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करने में न्यायालय उस विवाह से हुई किसी संतति (संतान) के हितों और इस बात को भी कि क्या पक्षकारों के बीच उत्त एक वर्ष के अवसान से पूर्व मेल-मिलाप की कोई युक्तियुक्त सम्भाव्यता है या नहीं, ध्यान ध्यान में रखेगा।.

14. No petition for divorce to be presented within one year of marriage.-

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of a marriage by a decree of divorce, unless at the date of the presentation of the petition one year has elapsed since the date of the marriage:

Provided that the court may, upon application made to it in accordance with such rules as may be made by the High Court in that behalf , allow a petition to be presented before one year have elapsed since the date of the marriage on the ground that the case is one of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent, but, if it appears to the court at the hearing of the petition that the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, the court may, if it pronounces a decree, do so subject to the condition that the decree shall not have effect until after the expiry of one year from the date of the marriage or may dismiss the petition without prejudice to any petition which may be brought after the expiration of the said one year upon the same or substantially the same facts as those alleged in support of the petition so dismissed.

(2) In disposing of any application under this section for leave to present a petition for divorce before the expiration of one year from the date of the marriage, the court shall have regard to the interests of any children of the marriage and to the question whether there is a reasonable probability of a reconciliation between the parties before the expiration of the said one year.

15. कब तलाक-प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे - जबकि विवाह-विच्छेद की डिक्री-
द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो और या तो
डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही न हो या
यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय का कोई अपील उपस्थापित हुए बिना अवसान हो गया हो
या अपील की गई हो किन्तु खारिज कर दी गई हो
तब विवाह के किसी पक्षकार के लिए पुनःविवाह करना विधिपूर्ण होगा।

15. Divorced persons when may marry again.-

When a marriage has been dissolved by a decree of divorce and either there is no right of appeal against the decree or, if there is such a right of appeal, the time for appealing has expired without an appeal having been presented, or an appeal has been presented but has been dismissed, it shall be lawful for either party to the marriage to marry again:

Provided that it shall not be lawful for the respective parties to marry again unless at the date of such marriage at least one year has elapsed from the date of the decree in the court of the first instance.

16. शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता -

(1) इस बात के होते हुए भी कि विवाह धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है, ऐसे विवाह का कोई अपत्य, जो विवाह के विधिमान्य होने की दशा में धर्मज होता, धर्मज होगा, चाहे ऐसे अपत्य का जन्म विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ से पूर्व हुआ हो या पश्चात् और चाहे उस विवाह के सम्बन्ध में अकृतता की डिक्री इस अधिनियम के अधीन मन्जूर की गई हो या नहीं और चाहे वह विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभिनिर्धारित किया गया हो या नहीं।

(2) जहाँ धारा 12 के अधीन शून्यकरणीय विवाह के सम्बन्ध में अकृतता की डिक्री मन्जूर की जाती है, वहाँ डिक्री की जाने से पूर्व जनित या गर्भाहित ऐसा कोई अपत्य, जो यदि विवाह डिक्री की तारीख को अकृत किये जाने के बजाय विघटित किया गया होता तो विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता, अकृतता की डिक्री होते हुए भी उनका धर्मज अपत्य समझा जायेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे विवाह के किसी अपत्य को, जो अकृत और शून्य है या जिसे धारा 12 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा अकृत किया गया है, उसके माता-पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की सम्पत्ति में में या सम्पति के प्रति कोई अधिकार किसी ऐसी दशा में प्रदान करती है जिसमें कि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह अपत्य अपने माता-पिता का धर्मज अपत्य न होने के कारण ऐसा कोई अधिकार रखने या अजित करने में असमर्थ होता।

16. Legitimacy of children of void and voidable, marriages.-

Where a decree of nullity is granted in respect of any marriage under section 11 or section 12, any child begotten or conceived before the decree is made who would have been the legitimate child of the parties to the marriage if it had been dissolved instead of having been declared null and void or annulled by a decree of nullity shall be deemed to be their legitimate child notwithstanding the decree of nullity :

Provided that nothing contained in this section shall be construed as conferring upon any child of a marriage which is declared null and void or annulled by a decree of nullity any rights in or to the property of any person other than the parents in any case where, but for the passing of this Act, such child would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of his not being the legitimate child of his parents.

17. द्विविवाह के लिये दण्ड - यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दो हिन्दुओं के बीच अनुष्ठित किसी विवाह की तारीख में ऐसे विवाह में के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा कोई विवाह शून्य होगा और भारतीय दण्ड संहिता (1860 का अधिनियम 45) की धारा 494 और 495 के उपबन्ध तदनुकूल लागू होंगे।

धारा 494 का विवरण

17. Punishment of bigamy.-

Any marriage between two Hindus solemnized after the commencement of this Act is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife living; and the provisions of sections 494 and 495 of the Indian Penal Code (45 of 1860), shall apply accordingly.

भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार, जो कोई भी पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी स्थिति में विवाह करेगा जिसमें पति या पत्नी के जीवनकाल में विवाह करना अमान्य होता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।
अपवाद--इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है, जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया हो।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति (पति या पत्नी जिसके जीवनसाथी ने पुनः विवाह किया है) के द्वारा समझौता करने योग्य है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 495 के अनुसार, जो भी कोई पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति जिससे आगामी विवाह किया जाना है से छिपाकर करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
लागू अपराध वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ आगामी विवाह किया जाना है।
सजा - दस वर्ष कारावास, और आर्थिक दण्ड।
यह अपराध जमानती, गैर-संज्ञेय है तथा प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

18. हिन्दू विवाह के लिये कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दण्ड

प्रत्येक व्यक्ति जो कि धारा 5 के खण्ड (iii), (iv)सपिंड तथा (V) प्रतिषिद्ध सम्बन्ध में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन में विवाह इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठित करा लेता है।
(क) धारा 5 के खण्ड (iii) में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन की अवस्था में कठोर कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों से:।
(ख) धारा 5 के खण्ड (iv) या खण्ड (V) में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन की अवस्था में सादे कारावास से जो एक महीने तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;

18. Punishment for contravention of certain other conditions for a Hindu marriage.-

Every person who procures a marriage of himself or herself to be solemnized under this Act in contravention of the conditions specified in clauses (iii), (iv), (v) and (vi) of section 5 shall be punishable-

(a) in the case of a contravention of the condition specified in clause (iii) of section 5, with simple imprisonment which may extend to Two year, or with fine which may extend to one lace rupees, or with both;

(b) in the case of a contravention of the condition specified in clause (iv) or clause (v) of section 5, with simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both; and